भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 397

दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए

आकांक्षी जिले

397. **श्री जी. कुमार नायक:**

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राज्य में कितने आकांक्षी जिले चिह्नित किए गए हैं;

(ख) उक्त कार्यक्रम के तहत आज तक प्रत्येक राज्य द्वारा आबंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निधि आबंटन और जारी करने में राज्य-विशिष्ट भिन्नताएं हुई हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं:

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान, सामाजिक-आर्थिक और विकास संकेतकों के आधार पर कर्नाटक के आकांक्षी जिलों की प्रगति और प्रदर्शन की जिला-वार स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रभाव पर कोई शोध या आकलन किया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(च) क्या सरकार आकांक्षी जिलों के आकलन और पहचान के लिए नए संकेतकों को संशोधित करने या शुरू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या आकांक्षी जिलों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक राज्य के चिह्नित आकांक्षी जिलों की संख्या अनुलग्नक 1 में दी गई है।

(ख) आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत, ये जिले कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग पद्धति के माध्यम से प्राप्त वित्तीय अनुदानों का उपयोग करके महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं संचालित करते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए आबंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई निधियों का अब तक का ब्यौरा अनुलग्नक 2 में दिया गया है।

(ग) आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित निधियों में राज्य-विशिष्ट भिन्नताएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्यक्रम के तहत वित्तपोषण डेल्टा रैंकिंग पद्धति पर आधारित है, जिसमें कार्यक्रम के तहत 49 प्रमुख निष्पादन संकेतकों में उनकी मासिक प्रगति के लिए जिलों को पुरस्कृत किया जाता है। पहले और दूसरे समग्र श्रेणी में आने वालों को क्रमशः10 करोड़ रु. और 5 करोड़ रु. से सम्मानित किया जाता है, जबकि पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले को 3 करोड़ रु. प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को उनके राज्यों पर विचार किए बिना 30 करोड़ रु. मासिक रूप से प्रदान किए जाते हैं। इसलिए, प्रत्येक राज्य को आबंटित कुल धनराशि उस राज्य के आकांक्षी जिलों की संख्या और उन जिलों द्वारा हासिल किए गए प्रदर्शन की स्थिरता पर निर्भर करती है।

(घ) आकांक्षी जिला कार्यक्रम स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी अवसंरचना जैसे क्षेत्रों के 49 प्रमुख निष्पादन संकेतकों के आधार पर आकांक्षी जिलों की प्रगति की निगरानी करता है। प्रमुख संकेतकों पर कर्नाटक के आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन का ब्यौरा अनुलग्नक 3 में दिया गया है। सभी आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन का विस्तृत विवरण द चैम्पियन ऑफ चेंज पोर्टल (http://championsofchange.gov.in/site/coc-home/) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

(ङ) आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) के संचालन और प्रभाव का आकलन स्वतंत्र रूप से किया गया है।

क. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इस कार्यक्रम का व्यापक मूल्यांकन किया है।

ख. प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन संस्थान (हावर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकेल पोर्टर के नेतृत्व में विशेषज्ञ टीम) ने भी कार्यक्रम का विस्तृत मूल्यांकन किया है।

दिसम्बर 2020 में प्रस्तुत "आकांक्षी जिला कार्यक्रम: एक मूल्यांकन" शीर्षक वाली यूएनडीपी रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि क्षेत्र-वार विकास, अभिसरण के माध्यम से बेहतर शासन और प्रतिस्पर्धी संघवाद के माध्यम से त्वरित विकास जैसे विभिन्न पहलुओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यह प्रगति सुदृढ़ नेतृत्व, तत्क्षण निगरानी, डेटा-संचालित निर्णय लेने और क्षमता निर्माण सहित कारकों से प्रेरित है। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धा संस्थान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लगभग सभी जिलों ने बेसलाइन की तुलना में प्रमुख विकास मानदण्डों में सुधार दर्शाया है। इस कार्यक्रम ने सर्वाधिक वंचित क्षेत्रों के लाभों को लक्षित करके सामाजिक प्रभाव और न्याय को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है। डेल्टा रैंकिंग प्रणाली ने प्रतिस्पर्धा और गतिशील संस्कृति को बढ़ावा

देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसने विगत तीन वर्षों में कई अल्प प्रदर्शन वाले जिलों को अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रेरित किया है।

(च) एवं (छ) आकांक्षी जिलों का आकलन करने और चिह्नित करने के लिए नए संकेतकों को शुरू करने या संशोधित करने अथवा आकांक्षी जिलों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई योजना नहीं है।

***

श्री जी. कुमार नायक द्वारा आकांक्षी जिलों के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 397 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

आकांक्षी जिलों का राज्यवार वितरण

क्रम सं.	राज्य	आकांक्षी जिलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	7
4.	बिहार	13
5.	छत्तीसगढ़	10
6.	गुजरात	2
7.	हरियाणा	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2
10.	झारखंड	19
11.	कर्नाटक	2
12.	केरल	1
13.	मध्य प्रदेश	8
14.	महाराष्ट्र	4
15.	मणिपुर	1
16.	मेघालय	1
17.	मिज़ोरम	1
18.	नागालैंड	1
19.	ओडिशा	10
20.	पंजाब	2
21.	राजस्थान	5
22.	सिक्किम	1
23.	तमिलनाडु	2
24.	तेलंगाना	3
25.	त्रिपुरा	1
26.	उत्तर प्रदेश	8
27.	उत्तराखंड	2
कुल		**112**

श्री जी. कुमार नायक द्वारा आकांक्षी जिलों के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 397 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए आबंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई निधियों का अब तक का ब्यौरा (वित्त वर्ष 2018-2019 से वित्त वर्ष 2024-25)

राज्य	आबंटित धनराशि (पुरस्कृत) (रु. करोड़ में)	स्वीकृत धनराशि (रु. करोड़ में)	उपयोग की गई धनराशि (रु. करोड़ में)
आन्ध्र प्रदेश	38.19	34.25	12.79
अरुणाचल प्रदेश	20.06	20.06	15.61
असम	142.83	122.06	79.93
बिहार	241.26	187.17	67.75
छत्तीसगढ़	127.62	114.12	74.61
गुजरात	28.32	22.26	11.70
हरियाणा	33.26	18.26	3.13
हिमाचल प्रदेश	17.06	14.06	10.67
जम्मू एवं कश्मीर	31.12	27.97	14.74
झारखंड	254.59	220.37	102.19
कर्नाटक	38.51	28.51	15.87
केरल	19.06	18.06	7.79
मध्य प्रदेश	107.01	93.50	56.85
महाराष्ट्र	86.88	78.88	56.62
मणिपुर	23.26	20.26	15.30
मेघालय	18.06	16.06	9.30
मिज़ोरम	21.06	19.06	2.75
नागालैंड	21.06	10.26	10.18
ओडिशा	155.02	126.01	67.29
पंजाब	40.12	37.97	23.08
राजस्थान	72.36	59.34	27.20
सिक्किम	23.06	14.06	10.95
तमिलनाडु	37.13	33.13	9.41
तेलंगाना	39.66	31.66	17.09
त्रिपुरा	30.26	30.26	22.91
उत्तर प्रदेश	197.21	173.07	87.83
उत्तराखंड	30.12	29.68	26.76
कुल	**1900.56**	**1600.39**	**860.31**

श्री जी. कुमार नायक द्वारा आकांक्षी जिलों के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 397 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

कर्नाटक के आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन की स्थिति

		रायचूर		यादगिर	
क्रम सं.	**संकेतक**	**आधारभूत मूल्य (मार्च 2018)**	**वर्तमान मूल्य (मार्च 2024)**	**आधारभूत मूल्य (मार्च 2018)**	**वर्तमान मूल्य (मार्च 2024)**
	स्वास्थ्य एवं पोषण				
1.	कुल एएनसी पंजीकरण के मुकाबले पहली तिमाही में पंजीकृत एएनसी का प्रतिशत	85.37	99.86	76.05	100
2.	कुल अनुमानित गर्भधारण में से एएनसी के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं (पीडब्लू) का प्रतिशत	100	101.59	100	100
3.	आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक पोषण ले रही गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत	79.45	96.02	71.65	97.2
4.	गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के परीक्षण मामलों के मुकाबले गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को किए गए उपचार का प्रतिशत	71.19	100	72	100
5.	जन्म के समय लिंग अनुपात	882	990	868	992
6.	कुल अनुमानित प्रसवों में से सांस्थानिक प्रसवों का प्रतिशत	89.37	100	68.95	99.96

		रायचूर		यादगिर	
क्रम सं.	**संकेतक**	**आधारभूत मूल्य (मार्च 2018)**	**वर्तमान मूल्य (मार्च 2024)**	**आधारभूत मूल्य (मार्च 2018)**	**वर्तमान मूल्य (मार्च 2024)**
7.	कुल घरेलू प्रसवों में एसबीए (कुशल जन्म उपस्थिति) प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता की देखरेख में घर पर हुए प्रसवों का प्रतिशत	100	100	21.43	100
8.	जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराने वाले नवजात शिशुओं का प्रतिशत	100	99.97	79.62	100
9.	कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत (2500 ग्राम से कम)	9.46	3.91	12.94	1.49
10.	जन्म के समय वज़न लिए गए जीवित बच्चों का समानुपात	100	100	76.29	100
11.	6 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत	32.36	11.83	30.83	11.01
12.	6 वर्ष से कम आयु के कुल बच्चों में से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) का प्रतिशत	0.75	0.1	0.58	0.27
13.	6 वर्ष से कम आयु के कुल बच्चों में से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) का प्रतिशत	31.62	11.73	30.25	7.57
14.	पूर्ण टीकाकरण (बीसीजी+डीपीटी3+ ओपीवी3+ खसरा1) करा चुके बच्चों (9-11 माह) का प्रतिशत	100	102.39	100	100
15.	अनुमानित मामलों के मुकाबले क्षय रोग (टीबी) मामले अधिसूचना दर (सार्वजनिक और निजी संस्थान)	76.86	75.57	64.57	100

		रायचूर		यादगिर	
क्रम सं.	**संकेतक**	**आधारभूत मूल्य (मार्च 2018)**	**वर्तमान मूल्य (मार्च 2024)**	**आधारभूत मूल्य (मार्च 2018)**	**वर्तमान मूल्य (मार्च 2024)**
16.	अधिसूचित टीबी रोगियों (सार्वजनिक और निजी) में से टीबी उपचार की सफलता दर	84.78	83.33	84.03	98.23
17.	प्रति 500,000 जनसंख्या पर 1 (पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति 300,000 पर 1) के मानक के मुकाबले क्रियाशील एफआरयू (प्रथम रेफरल इकाई) का अनुपात	100	100	33.33	100
18.	आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार जिला अस्पतालों में उपलब्ध विशेषज्ञ सेवाओं का अनुपात	100	100	42.86	47.62
19.	पिछले एक महीने में कम से कम एक ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस/शहरी स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस आयोजित करने वाली आंगनवाड़ियों/यूपीएचसी का प्रतिशत	76.79	100	94.66	100
20.	स्वयं के भवन वाले आंगनवाड़ियों का अनुपात	55.86	65.34	67.89	72.01
	शिक्षा				
21.	शौचालय की उपलब्धताः चालू बालिका शौचालय वाले विद्यालयों का प्रतिशत	87.82	99.46	95.59	96.23
22.	चालू पेयजल सुविधा वाले स्कूलों का प्रतिशत	68.21	99.88	98.48	100
23.	माध्यमिक स्तर पर चालू विद्युत सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत	100	100	90.16	100

		रायचूर		यादगिर	
क्रम सं.	**संकेतक**	**आधारभूत मूल्य (मार्च 2018)**	**वर्तमान मूल्य (मार्च 2024)**	**आधारभूत मूल्य (मार्च 2018)**	**वर्तमान मूल्य (मार्च 2024)**
24.	आरटीई निर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात का अनुपालन करने वाले प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत	90.54	100	66.6	97.09
	कृषि और जल संसाधन				
25.	सूक्ष्म-सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के प्रतिशत	2.3	12.8	2.96	11.38
26.	इस अवधि के दौरान मनरेगा के अंतर्गत पुनरुज्जीवित जलाशयों की संख्या	908	13735	49	7753
27.	प्रमाणित गुणवत्तापरक बीजों का वितरण	47808	15635	4263	2132
28.	जिले में इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार से जुड़ी मंडियों की संख्या	5	5		3
29.	धान (सामान्य): मूल्य प्राप्ति में प्रतिशत परिवर्तन (कृषि फसल मूल्य (एफएचपी) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बीच अंतर के रूप में परिभाषित	-9.61	25.19	-38.39	-1.97
30.	धान (ग्रेड-ए) : मूल्य प्राप्ति में प्रतिशत परिवर्तन (कृषि फसल मूल्य (एफएचपी) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बीच अंतर के रूप में परिभाषित	18.87	52.61	-27.36	5.76
31.	टीकाकृत पशुओं का प्रतिशत	97.09	100	92.41	100
32.	वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या	2400	13550	16500	10793

		रायचूर		यादगिर	
क्रम सं.	**संकेतक**	**आधारभूत मूल्य (मार्च 2018)**	**वर्तमान मूल्य (मार्च 2024)**	**आधारभूत मूल्य (मार्च 2018)**	**वर्तमान मूल्य (मार्च 2024)**
	वित्तीय समावेशन और कौशल विकास				
33.	प्रति 1 लाख की आबादी पर कुल वितरित मुद्रा ऋण (करोड़ रुपए में)	21.8093	41.6832	21.306	36.269
34.	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई): प्रति 1 लाख आबादी पर नामांकनों की संख्या	3053	14889	1281	12938
35.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई): प्रति 1 लाख आबादी पर नामांकनों की संख्या	5570	27786	2696	25879
36.	अटल पेंशन योजना (एपीवाई): प्रति 1 लाख आबादी पर लाभार्थियों की संख्या	912	5353.04	466	4884.1
37.	कुल बैंकिंग खातों के प्रतिशत रूप में आधार के साथ जुड़े बैंक खातों का प्रतिशत	83.5	93.5	83.4	93.9
38.	प्रति 1 लाख आबादी पर प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या	16010	33333.5	17280	32022
39.	पोर्टल पर पंजीकृत प्रशिक्षुओं की कुल संख्या को पूरा करने वाली प्रशिक्षुता की संख्या	10.98	13.167		1.74
	बुनियादी अवसंरचना				
40.	इंटरनेट सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	80	100	19.51	79.51

		रायचूर		यादगिर	
क्रम सं.	**संकेतक**	**आधारभूत मूल्य (मार्च 2018)**	**वर्तमान मूल्य (मार्च 2024)**	**आधारभूत मूल्य (मार्च 2018)**	**वर्तमान मूल्य (मार्च 2024)**
41.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बारहमासी सड़कों वाले बस्तियों का प्रतिशत	89.19	92.8	68.99	100
42.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत जिले में कुल संस्वीकृत किलोमीटरों के प्रतिशत के रूप में पूरे किए गए बारहमासी सड़क कार्य के किलोमीटरों की संचयी संख्या	99.16	97.01	99.61	97.75
43.	ग्राम पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केंद्रों की स्थापना के कवरेज का प्रतिशत	48.33	100	55.28	100
44.	बेघरों या कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त एकल कमरे वाले या कच्ची दीवार और छत वाले कमरों में रह रहे 2 परिवारों के लिए निर्मित पक्के मकानों की संख्या	63.71	47.45	1.72	74.84

नोटः आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम के तहत प्रमुख निष्पादन संकेतकों के आंकड़े जिलों द्वारा स्वतः रिपोर्ट किए गए हैं।

*****